



कार्यालय, जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केन्द्र, शिवपुरी



आवेदन क्रमांक: 164788

आवेदन का प्रकार : नवीनीकरण मान्यता

मान्यता दिनांक - 05/04/2023

प्रति,

अध्यक्ष,

Haji Sannu Shiksha Evam Samaj Vikas Samiti Shivpuri

Doon Public School Shivpuri

SHIVPURI, शिवपुरी, मध्यप्रदेश

विषय:- नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 03/02/2023 तथा इस संबंध में स्कूल से पक्षात्वर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सदर्भ में, मैं आपके - Doon Public School Shivpuri स्कूल आईडी - PS97726 विकासरबंड - SHIVPURI को स्कूल का प्रकार प्रारंभिक सह माध्यमिक शिक्षण का मायम Hindi+English कक्षा प्री प्राइमरी-नर्सरी से आठवीं तक के लिए दिनांक 01/04/2023 से 31/03/2026 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यर्थीन होगी :-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता की कोई बायता किसी भी रूप में विवरित नहीं होगी।
- स्कूल नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पढ़ोम की सीमा के वंचित समूह तथा कमज़ोर वर्ग के बालकों को स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुबान में नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है।

- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा-

(क) आयु के संबंध के आधार में;

(ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पक्ष्यात ऐसा प्रवेश चाहा गया है;

(ग) धर्म, जाति या मूलवश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।

7. स्कूल सुनिश्चित करेगा कि -

(क) प्रायमरी स्कूल में किसी प्रवेशित बालक को स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(ख) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कक्षा 5 एवं 8 को छोड़कर अन्य कक्षाओं में बाधा रहित कक्षोन्नति प्रदान की जाएगी।

(ग) किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक रूप से प्रताडित नहीं किया जाएगा।

(घ) नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

(ङ.) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार दिव्यांग/विशेष आवर्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;

(च) अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन नियारित योग्यता अनुसार शिक्षक ही कामना रखे जायें स्कूल में अधिनियम की धारा 19 पर 25 में उल्लेखित मापदंडों के पूर्ति करते हुये मान्यता अवधि तक शिक्षकों की प्रियोनि की व्यवस्था बनाए रखी जाएगी।

(छ) शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उसके अन्वया का प्रालृप करना समाप्त करेगा।

(ज) प्रायवेत शिक्षण की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगी।

[Signature] **PRINCIPAL
DOON PUBLIC SCHOOL
SHIVPURI (M.P.)**

[Signature] **राजी नन्द शिक्षा पत्र समाप्त करना विवरण दिव्यांग विशेष आवर्यकता वाले बालकों का प्रालृप करना समाप्त करेगा।**

- (अ) भारत की गण्डीय भवन सहिता भाग-४ के अधीन विनिर्दिष्ट सन्नियमों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था स्थापित हो।
- (ब) प्रतिवर्ष बच्चों से प्रभागित की जाने वाली फीस ऐसी रीति में अधिसूचित की जाए जो आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व निर्देशित की जाए, तथा इसकी सूचना शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी को भी दी जाए।
- मध्यप्रदेश निजी विधालय विनियमन बोर्ड के नियमों के अनुसार ही फीस में बढ़ोत्तरी की जा सकती है।
8. स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्चा का अनुसरण करेगा।
9. स्कूल अधिनियम की धारा १९ में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में बालकों का नामांकन करेगा।
10. स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा १९ में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखें जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयीं-

1. स्कूल के भवन की स्थिति	किराए का भवन
2. स्कूल परिसर का क्षेत्रफल	22500
3. कुल निर्धारित क्षेत्रफल	25000
4. खेल मैदान का क्षेत्रफल	7500
5. कक्षाओं के कमरों की संख्या	12
6. प्रधानाध्यापक कक्ष-सह-कार्यालय-सह-स्टोर कक्ष	3
7. लड़कों और लड़कियों के लिए पुरक प्रसाधन	हाँ
8. स्वच्छ पेयजल सुविधा	हाँ
9. मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर	1
10. बाया रहित प्रवेश की सुविधा	हाँ
11. पठन-पाठन सामग्री	हाँ
12. खेल एवं खेलकूद उपकरण	हाँ
13. पुस्तकालय की उपलब्धता	हाँ
14. शिक्षकों की संख्या	13

11. लेखन संपर्कशिक्षण किए जाएंगे तथा चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित होंगे और उन्नित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होंगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला परियोजना समन्वयकों भेजी जाएगी।
12. आपके स्कूल को अवधित मान्यता कोड नम्बर 97726 है। इस कार्यालय के साथ कसी भी पत्राचार में यह कोड नम्बर सदर्भति करिए जाएं।
13. स्कूल ऐसी रिपोर्ट और जानकारी प्रस्तुत करेगा, जो स्कूल शिक्षा विभाग/राज्य शिक्षा केन्द्र-जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की क्रियाओं को दूर करने के लिए अन्यता मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएंगे।
14. यदि कोई शाला उसके छात्रों को वाहन की सुविधा उपलब्ध कराती है तो उसे सुनिश्चित करना होगा कि वाहन हेतु सरकार द्वारा यथा विहित सुरक्षा सन्नियमों का पालन हो रहा है। शाला को स्कूल बसों में महिला कंडक्टर की उपलब्धता के संबंध में समय-समय पर परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
15. सोसायटी/न्यास, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
16. अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

Digitally signed by ASHOK KUMAR TRIPATHI
Date: 2023.04.05 11:32:58 +05:30
Reason: RTE school recognition
Location:

* मान्यता प्रमाण पत्र जिला परियोजना समन्वयक द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है, भौतिक हस्ताक्षर की कोई आवश्यकता नहीं है।

PRINCIPAL
DOON PUBLIC SCHOOL
SHIVPURI (M.P.)

सांचे
हजार सन् शिक्षा एवं स्वास्थ्य विकास बोर्ड
शिवपुरी (मप्र)

भवदीय,

जिला परियोजना समन्वयक

जिला शिक्षा केन्द्र



आवेदन क्रमांक: 87726

स्कूल: DOON PUBLIC SCHOOL
SHIVPURI

प्रारूप 2 (नियम 11(4) दोषेण)

कार्यालय शिक्षा अधिकारी (शिवपुरी), मध्यप्रदेश

मान्यता का प्रकार - नवीन मान्यता

मान्यता दिनांक - 29/06/2020

संख्या - 2020-21

प्रति,

प्रबंधक (DOON PUBLIC SCHOOL SHIVPURI)

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 25/02/2020 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार / निरक्षण के सन्दर्भ में, मैं आपकी

स्कूल - DOON PUBLIC SCHOOL SHIVPURI डाइस कोड - 23060120202 स्कूल क्रमांक - PS 87726 को कक्षा Nursery से 8 तक के लिए दिनांक 01/04/2020 से 31/03/2023 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्थीकृत निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी :-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/ संबद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवरित नहीं होगी
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेंगा।
- स्कूल, अपने पढ़ोसी की सीमा के बंधित समूह तथा कमज़ोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किन्तु यह न्यूनतम प्रत्येक प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते कि जहाँ स्कूल पूर्व स्कूल (प्री स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहाँ अधिनियम कीधारा 12 की उपधारा (1) के खंड (क) से (ग) के उपबंध प्री-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा एसी प्रतिपूर्ति पाप्त करने के लिए स्कूल को पृथक से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कंपिटेशन फीस के संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी ऊनवीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा -
 - (क) आयु के सबूत के आभाव में;
 - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
 - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।

• स्कूल मुनिशियत करेगा कि -

- किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा
- किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
- प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने कि आवश्यकता नहीं होगी;
- नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
- अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशुल्क विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा
- अधिनियम की धारा 23(1) कि अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों के भर्ती कि जाएगी; बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के पारम्परा होने पर न्यूनतम आहता नहीं रखते हैं, उन्हे अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष कि अवधि में निर्धारित न्यूनतम आहता प्राप्त करनी होगी


○ शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनीरिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा

○ प्रायवेट टीचिंग कि गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी

• स्कूल समुचित प्राप्तिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्चा का अनुसरण करेगा

• अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपतब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा


Principal
Doon Public School
Shivpuri


(Haji Sannu) (Eva
Evam Samaj Vikas Samiti
Shivpuri (M.P.)

Signature valid

Digitaly signed by
AJAY KATIYAR
Date: 2020-06-29
20:07:24 IST

Reason: Digitally Signed
Location: NIC

स्कूल DOON PUBLIC SCHOOL SHIVPURI	डाइस कोड 230601 20202	शिक्षणी का संदर्भ 2020- 21	जिला प्रकार शिवपुरी	क्षेत्र का ग्रामीण	विकास घटना(दलौका) SHIVPURI	गांग / घाँड Kakarwaya	पिन कोड 473551	पुलिस थाना रखांश अक्षांश थाना पुरानी 25.42 77.648 शि वपुरी 31195 5785
---	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------------------	--------------------------	-------------------	---

स्कूल की सामान्य जानकारी

स्कूल प्रारंभ होने की तिथि 01/04/2020

क्या स्कूल किसी सोसाइटी/न्यास/संगठन द्वारा संचालित है? नहीं

सोसाइटी/न्यास/संगठन का नाम

सोसाइटी/न्यास/संगठन का पंजीयन क्रमांक

स्वामी का नाम SHAHID KHAN

स्कूल के प्रबंधक/ अध्यक्ष/ सभापति का नाम SHAHID KHAN

पदनाम Secretary

मोबाइल

ई-मेल doonshivpuri@gmail.com

कार्यालय का पता Haji Sannu Market Mahal Road Shivpuri

कार्यालय का दूरभाष 9826054575

स्कूल की प्रकृति

शिक्षण का माध्यम Hindi+English

मान्यता हेतु स्कूल का प्रकार सहशिक्षा

क्या स्कूल आवासीय है? नहीं

क्या स्कूल केवल दिव्यांग बच्चों हेतु संचालित है? नहीं

क्या स्कूल को अल्पसंघर्षक होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया है? नहीं

प्रवेश की प्रारंभिक कक्षा प्री प्राइमरी-नर्सरी

प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम आयु 3

स्कूल की अंतिम कक्षा आठवीं

क्या स्कूल को शासन / स्थानीय प्राधिकारी अनुदान प्राप्त है? नहीं

क्या स्कूल मान्यता प्राप्त है? नहीं

प्राधिकारी का नाम

मान्यता क्रमांक

डाइस कोड(DISE)

क्या स्कूल राज्य सरकार/ केंद्र सरकार / स्थानीय प्राधिकारी से नहीं

निःशुल्क अथवा रिभायती दर पर किसी भूमि, भवन, उपकरण

थवा अन्य सुविधाएं प्राप्त होने के कारण निश्चित संख्या में बलकें

को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु बाध्य है?

विवरण	आवेदन में दर्ज
स्कूल के भवन की स्थिति	विनाए का भवन
स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	22500
स्कूल का निश्चित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	25000
खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	7500

अपोसंरचना का विवरण

विवरण	संख्या	औसत आकार(वर्ग फीट में)
कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष	12	600
कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष	1	350
ओजनालय-सह-भण्डार	1	350

पाठ्यचर्चा एवं पाठ्यक्रम का विवरण

विवरण	बोर्ड
एत्र मूल्यांकन की प्रणाली	MP BSE
कक्षा आठवीं तक विद्यार्थी किसी बोर्ड परीक्षा में बैठ रहे हैं? (हाँ/नहीं)	नहीं
प्रत्येक वर्ग में पाठ्यचर्चा और पाठ्यक्रम का विवरण (आठवीं तक)	MP BSE


स्कूल में उपलब्ध अन्य सुविधाओं का विवरण

विवरण	आवेदन में दर्ज	फोटो
क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहित है	हाँ	
पठन पाठन सामग्री की हस्ताक्षरित सूची	हाँ	
खेलकूद एवं खेल उपकरण की हस्ताक्षरित सूची	हाँ	
पुस्तकों की संख्या	100	
पत्रिकाएं/समाचार पत्र	2	
पेयजल सुविधा का प्रकार	Pitchers	
पेयजल सुविधा की संख्या	5	
शौचालय का प्रकार (आरतीय/पश्चिमी/नहीं)	Both Indian & Western	
लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	5	
लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	5	
विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	1	
क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है	हाँ	

नामांकन एवं शुल्क का विवरण

कक्षा	कुल सीट	कुल नामांकित छात्र	स्कूल द्वारा आरक्षित सीटें	वार्षिक शुल्क
प्री प्राइमरी-नर्सरी	10	10	2	42000
प्री प्राइमरी-बोर्डी-1	30	0	0	42000
प्री प्राइमरी-बोर्डी-2	30	0	0	42000


Principal
Doon Public School
Shivpuri


(H.E) Samruddha
Evan Samaj Vikas Samiti
Shivpuri (M.P.)

पांचवी	30	0	0	42000	पर्याप्त
छठवी	30	0	0	42000	पर्याप्त
सातवी	30	0	0	42000	पर्याप्त
अटवी	30	0	0	42000	पर्याप्त
आठवी	30	0	0	42000	पर्याप्त
नौवी	30	0	0	42000	पर्याप्त

विद्यालय के पासारे आपत्ति दस्तावेजों के अध्यक्ष/प्रबन्धक का प्रमाणीकरण
विवरण

हाँ / नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि सम्मुचित प्राप्तिकारी द्वारा प्राप्तिकृत अधिकारी किसी अधिकारी के निरीक्षण के द्वारा रखूल नहीं होता।

विद्यालय, साथग प्राप्तिकारी द्वारा निरीक्षित अधिकारी गान्धीता की शर्ती नहीं पालन करेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि रखूल ऐसी रिपोर्ट पर जानकारी, जो कि अप्रीवित की जाए, जिला शिक्षा अधिकारी को समय समय पर दिए जाने और रखूल की गान्धीता की शर्ती की पूर्ति को निर्दिष्टता बनाए रखने या रखूल के कार्य में आगे चाली करनी तो दूर कर्त्ता के लिए सम्मुचित प्राप्तिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी ऐसे अनुदेशों के पालन नहीं तयन होता है।

प्रमाणित किया जाता है कि रखूल ने राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा संभालित टेलिफोन पर उपरोक्त वर्णित अधिकारी भी दूजे करा दी है।

प्रमाणित किया जाता है कि रखूल द्वारा इस अधिकारी के क्रियाकलाप से संबंधित अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्तिकृत किसी अधिकारी या सम्मुचित अधिकारी को निरीक्षण के लिए किसी भी समय दिए जाएंगे तथा रखूल, यारियां, रांगड़ या राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदेही या कर्तव्य के निवेदन के लिए केंद्र और/या राज्य राजकार्य/स्थानीय प्राप्तिकारी या प्रधारान को समर्त ऐसी जानकारियां, जो कि आवश्यक हैं, प्रस्तुत करेगा।

गान्धीता संबंधी दस्तावेज

विवरण

अपलोड है (हाँ / नहीं)

हाँ

नहीं

नहीं


दस्तावेजों का पंजीकरण प्रमाणपत्र


रो-10 के अनुसार दायित्व के दस्तावेज

प्रवेश शुल्क एवं नियमित वार्षिक शुल्क की हस्तांतरित प्रति

रखूल द्वारा संधालित पुस्तकों की जानकारी

कक्षा	विषय	पुस्तक	लेखक	आईएएआईएन न.	अधिकारी द्वारा मूल्य
पांचवी	HINDI	BHASHA BHARTI	NCRT	0000458	51.00
पहली	HINDI	BHASHA BHARTI	NCRT	5208314	42.00
तीसरी	HINDI	BHASHA BHARTI	NCRT	0686897	52.00
दूसरी	HINDI	BHASHA BHARTI	NCRTE	0005812	64.00


Principal
Doon Public School
Shivpuri


(Hajji Sannu S. Sha)
Evan Samaj Vikas Samiti
Shivpuri (M.P.)

शिक्षक का नाम पिता / पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षणिक अहंता विषय रहित	व्यावसायिक अहंता	अध्यापन अनुभव(महीनों में)	नियुक्ति दिनांक	कक्षा जिसमें पढ़ाते हैं
JAGDISH DHAKAD	RAMPRASAD	25/08/1995	12th [Arts], BA - None [Social Science (His/Eco/Geog/Po I Sc)], MA [HINDI]	DEd	0 01/02/2020	I
JYOTI KALRA	LAKPAT RAI KALRA	27/10/1987	12th [Maths], BA - None [Social Science (His/Eco/Geog/Po I Sc)].	BEd	0 02/02/2020	II
NAJIRA BANO	AJAD KHAN	05/07/1981	12th [Arts], BA - None [Social Science (His/Eco/Geog/Po I Sc)].	DEd	0 01/02/2020	
NAUSHAD BEGAM	ABDUL SALIM	24/10/1982	12th [Arts], BA - None [Social Science (His/Eco/Geog/Po I Sc)].	BEd	0 01/02/2020	
POOJA SHARMA	MUKESH SHARMA	17/02/1990	12th [Agriculture], BA - None [Social Science (His/Eco/Geog/Po I Sc)], MA [Sanskrit]	BEd	0 01/02/2020	
SHALINI BHARGAVA	MAHESH KUMAR SHARMA	19/08/1986	12th [Arts], BA - None [Social Science (His/Eco/Geog/Po I Sc)], MA [HINDI]	BEd	0 01/02/2020	

अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के प्रयोजन के लिए पड़ोस की सीमा

ग्राम / वार्ड

पड़ोस का प्रकार

- लेख संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टड अकाउंट द्वारा स्त्यपित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होंगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरण कि एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नंबर 97726 एवं डाइसकोड (DISE) 23060120202 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नंबर संदर्भित किए जाएँ।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत कि जाएगी, जो राज्य शिक्षा केंद्र/ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय -समय पर अपेक्षित कि जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनु अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन कि कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता कि शर्तों कि निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाए।
- सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्त संलग्न प्रावंध "तीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने तथा सिद्ध हों जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

(Haj Singh Shrestha
Evan Samaj Vikas Samiti
Shivpuri (U.P.)

Principal
Doon Public School
Shivpuri